::–आदेश–::

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्यय अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के अधीन शासनादेश संख्या–817/18–(2)/16–4 (14)/2015 दिनांक 07.04.2016, शा0सं0– 1317/18–(2)/16–4(14)/2015 दिनांक 31.05.2016 व शा0सं0–1612/18–(2)/16–12(4)/2013 टी.सी. दिनांक 05.07.2016 के द्वारा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित देयताओं के भुगतान/प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों हेतु इस जनपद के लिए कुल रु. 600.00 लाख (छः करोड) की धनराशि स्वीकृत हुई है। वर्ष 2016–17 में प्राकृतिक आपदा एवं अतिवृष्टि से जनपद में क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तात्कालिक प्रकृति की कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की गई है। निम्नांकित विभागों द्वारा उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों की संस्तुति के उपरान्त आंगणन/ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका जनपद स्तरीय गठित स्कीनिंग समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। प्रस्तुत आंगणन/प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों से प्राप्त संस्तुति के आधार पर निम्न प्रकार कार्ययोजनाओं के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख रु. में)

क0 सं0	स्वीकृत कार्ययोजनां का नाम,	विभाग का नाम	आंगणन की धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
1–	सिलक्यारा–बनगांव–चापडा–सरोट मोटर मार्ग के कि0मी0–63, 64, 65 एवं 70 मे क्षतिग्रस्त पुल, दीवार, कॉजवे का मरम्मत कार्य।	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड	33.21	20.00	चिन्यालीसौड
2–	बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–01 से 15 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं पुल सुरक्षा कार्य।	–तदैव–	10.00	7.50	चिन्यालीसौड
3–	छैजुला–कोटधार–ताराकोट मोटर मार्ग के कि0मी0–01 एवं 2 में स्लिप सफाई, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों व स्कपर का पुर्ननिर्माण कार्य।	–तदैव–	18.00	16.00	चिन्यालीसौड
4–.	विकासखण्ड चिन्यालीसौड में विभिन्न मोटर मार्गों में यातायात खोलने हेतु स्लिप सफाई का कार्य।	–तदैव–	30.03	20.00	चिन्यालीसौड
5–	बडेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के कि0मी0–31 से 54 तक स्लिप सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों को पुर्ननिर्माण एवं पुल सुरक्षा कार्य।	–तदैव–	27.80	20.00	चिन्यालीसौड
6–	कैन्थोगी मोटर मार्ग के कि0मी0–1 से 2 तक स्लिप सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं पुल सुरक्षा कार्य।	–तदैव–	5.43	3.50	चिन्यालीसौड
7–	बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग के कि0मी0–3 एवं 4 में क्षतिग्रस्त दीवार/कॉजवे का मरम्मत कार्य।	–तदैव–	19.04	15.00	चिन्यालीसौड
8–	उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के कि0मी0–2,3,5,6,7,8,9,10 एवं 11 में स्लिप सफाई, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों व नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	–तदैव–	25.00	20.00	चिन्यालीसौड
		योगः–	168.51	122.00	

Order 2016-17 (407)

5— आंगणन में जिन मदो हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद मे किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका दायित्व निर्माण इकाई का होगा।

6— कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कर लिये जायेगें, और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमो का पालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।

7— कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने से पूर्व **क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी जिसे अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगें।** कार्य की सत्यता एवं गुणवता का प्रमाणिकरण उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों द्वारा किया जायेगा। तदनानुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर आपदा राहत निधि से निर्मित दिनांक, वर्ष तथा धनराशि सीमेन्ट कॅक्रीट के बोर्ड पर अंकित कर दिया जाय। विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी अपने अधीनस्थ खण्डो के कार्यो की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगें।

8— भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र ऐजेन्सी से भी जनपद के कार्यो का निरीक्षण व मूल्याकंन किया जायेगा । अतः जनपद स्तर पर कार्यो में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम जिसके द्वारा कार्य की क्षति , धनराशि के सही उपयोग , गुणवता आदि की समीक्षा की जायेगी ।

9— कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ कार्य योजनावार विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये जाने हेतु जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी ।

10— आपदा राहत कोष से व्यय हेतु निर्धारित दिशा—निर्देशों ,समय—समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें ।

11— योजनाओं में आपदा राहत कोष के मानकों का अनुपालन , योजनाओं का चयन , आगणनो की तकनीकी परीक्षण, धनराशि का सत्यापन , समयबद्वता , मूल्याकंन , अनुश्रवण , लेखा रख—रखाव एवं उपयोगियता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1876/18 (2)/11—12 (17)/07 दिनांक 24 मई, 2011 की शर्तो एवं इस सम्बन्ध में समय—समय पर शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

12— गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या—32—3/2013—एन0डी0 एम0—1, दिनांक 21.06.2013 एवं पत्र संख्या—32—7/2014—NDM—1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा मोचन निधि की गाईड लाइन्स का अध्ययन कर दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।

13— आंगणन में जिन मदों हेतु धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है , व्यय उसी मद में की जायेगी। एक मद की धनराशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी । इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

14— कार्य कराने से पूर्व कार्यदायी संस्था जिलाधिकारी को यह अवगत करायेगी कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा—निर्देशों से आच्छादित है । स्वीकृत धनराशि नव—निर्माण कार्यो में कदापि व्यय नहीं की जायेगी ।

15— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था जिलाधिकारी को यह भी अवगत करायेगी कि स्वीकृत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट तथा अन्य बजट से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है । यदि स्वीकृति प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन करते हुये अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी ।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 5000 /तेरह–26 (2015–16)

दिनांक 28 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
2– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी।
7– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
9– शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तरकाशी।
10– उप जिलाधिकारी भटवाडी/डुण्डा।
11– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि कार्ययोजनाओं को जनपद उत्तरकाशी की वैबसाईट में अपलोड करें।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।